(11)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 20/7/86—टी0सी0—का—2-99

लखनऊ, दिनांक 3 जून, 1999

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

समूह "घ" कर्मचारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1999

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली समूह "घ" कर्मचारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

2—समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
चयन समिति का गठन 16—किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा :—	चयन समिति का गठन 16—सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
(1) नियुक्ति प्राधिकारी,	(1) नियुक्ति प्राधिकारी।
(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य कोई अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अल्प संख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग का न हो।	(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अधिकारी, जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा	(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो।

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
करने में असफल रहे तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।	परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसा अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/7/86 T.C.—Karmik-2-99, dated June 3, 1999 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION—2

No. 20/7/86 T.C. Karmik—2-99

Dated Lucknow, June 3, 1999

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Group 'D' Employees Service Rules, 1985:

THE GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 1999

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Group 'D' Employees Service (Third Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of Rule 16

2. In the Group 'D' Employees Service Rules, 1985, *for* existing rule 16, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :—

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Constitution of Selection Committee	16. *For* the purpose of recruitment to any post, there shall be constituted a Selection Committee as follows: –	Constitution of Selection Committee	16. Direct recruitment shall be made by a Selection Committee comprising:—
	(1) Appointing Authority.		(1) Appointing Authority.
	(2) An officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, nominated by the District Magistrate if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe. If the appointing authority belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe, an officer other than belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, Minority Community and Backward Class to be nominated by the District Magistrate.		(2) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the appointing authority belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the appointing authority.
	(3) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to Minority Community and the other to Backward Class. If such suitable officers are not available in his department or organisation, such officers shall on the request of the appointing authority, be nominated by the District Magistrate and on his failure to do so, by reason of nonavailability of suitable officers, such officers		(3) An officer belonging to the Other Backward Classes, shall be nominated by the appointing authority, if the appointing authority does not belong to the Other Backward Classes. If the appointing authority belongs to the Other Backward Classes an officer other than other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the appointing authority :

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
shall be nominated by the Divisional Commissioner.	Provided that if such suitable officer is not available in his department or organisation such officer shall, on the request of the appointing authority, be nominated by the District Magistrate and on his failure to do so, by reason of nonavailability of suitable officer, such officer shall be nominated by the Divisional Commissioner.

By order,

SUDHIR KUMAR,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०- -ए० पी० 5 सा० नियुक्ति--(391)-15-6-99-1999-5000 (मेक०) ।